

IMMEDIATE



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क0 एफ.4(7)अपशिष्ट प्रबन्ध/विधि/पंरा/2019/ 565


जयपुर, दिनांक: 24/06/19

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद, समस्त (राजस्थान)।

विषय :- सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 की क्रियांविति बाबत ।
प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 503 दिनांक 31.5.2019 ।


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में लम्बित Original Application No. 606/2018 में पारित आदेश दिनांक 16.1.2018 की पालना में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 की क्रियांविति हेतु ग्राम पंचायतों के लिए उपविधियां (Bye-laws) अधिसूचित करवाये जाने हेतु आपको प्रासंगिक पत्र दिनांक 31.5.2019 द्वारा निर्देशित किया गया था ।

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के बिन्दु सं0 2 के अनुसार ज़िला परिषद की साधारण सभा की विशेष बैठक दिनांक 05.7.2019 को आयोजित की जानी थीं । वर्तमान में राज्य विधानसभा का सत्र दिनांक 27 जून, 2019 से आरम्भ होने जा रहा है । अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 05.7.2019 को ज़िला परिषद की साधारण सभा की विशेष बैठक आयोजित नहीं की जाये । इस प्रयोजनार्थ आगामी बैठक तिथि से आपको यथासमय अवगत करवा दिया जायेगा ।


(आशुतोष ए. टी. पेडणेकर)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:-

1. व0 उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा0वि0 एवं पं0राज, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), राजस्थान, जयपुर ।
5. सूदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर ।
6. एसीपी कम उप निदेशक, पंचायती राज को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु ।


संयुक्त शासन सचिव(विधि)